檔　　號：

保存年限：

駐印度代表處經濟組　函

機關地址：No. 34 Paschimi Marg, New Delhi, India
承辦人：王允玠
電話：91-11-4607-7726
Email：ycwang2@sa.moea.gov.tw

受文者：經濟部標準檢驗局

發文日期：中華民國115年6月29日
發文字號：竺經字第1150006101號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件一 竺經1150006101_Attach1.pdf)

主旨：有關印度發布「2026年過渡期便利化（品質管制）令」事，報請鈞察。

說明：

一、依據印度商工部產業暨促進國內貿易部門（DPIIT）2026年6月25日CG-DL-E-25062026-273832公告辦理（如附件）。

二、印度商工部產業暨促進國內貿易部門（DPIIT）於本（2026）年6月25日發布「2026年過渡期便利化（品質管制）令」（Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026），該命令依據「2016年印度標準局法」（Bureau of Indian Standards Act, 2016）第16條及第25條第3項規定訂定，並自刊登印度官方公報日起生效。

三、該命令適用於所附清單列示品質管制命令（Quality Control Orders, QCO）涵蓋之貨品或物品，包括玩具、個人防護設備鞋類、空調及相關零組件、橡膠及聚合材料鞋類、皮革及其他材料鞋類、家用熱水電器、家用洗衣電器、鉸鏈、家具，以及家用、商用及類似電器安全等

經濟部標準檢驗局
1150060822　115/06/29

10項產品類別。

四、依該命令規定，上述產品仍須符合相對應印度標準，並依「2018年印度標準局（符合性評估）規則」附表二第II方案，取得印度標準局（BIS）標準標誌使用授權。惟該授權僅限製造商向依本命令第4條取得DPIIT特別許可者供貨時適用；獲許可者須確保相關貨品符合各品質管制命令所定之印度標準。BIS亦將會同DPIIT，或透過指定機構進行市場監測，以確認產品持續符合適用標準。

五、該命令另規定，DPIIT得向依印度「2013年公司法」設立之公司核發許可，並由依命令成立之「執行委員會」（Implementation Committee）進行風險評估。該委員會由DPIIT主管技術法規助理次長或司長擔任主席，成員包括DPIIT相關產品主管助理次長或司長、消費者事務部司長、商務部門司長、印度外貿總局代表、BIS代表及DPIIT主管技術法規處長或副司長等。評估項目包括申請者技術能力、實績經驗、供應鏈品質保證方式、設計及製造管控、過往遵循紀錄，以及在印度建立相關供應鏈能力、推動技術導入或升級、設計能力、研發及創新等承諾。

六、許可申請須於該命令生效日起24個月內提出；申請程序、所需文件、權利義務、監測及遵循等細節，將由DPIIT另行發布指引並公告於該部網站。該命令效期為自生效日起5年，期滿後除印度中央政府另以官方公報公告延長外，將自動廢止；惟命令廢止前已核發許可，仍於許可所定期限內有效，除非依規定遭暫停、修改或撤銷。

七、另據印度新聞局（PIB）同日新聞稿，該命令係印度政府為強化品質生態系、提升產業競爭力及供應鏈韌性所推

措施。DPIIT表示，印度已針對關鍵產品陸續發布QCO，以維護消費者權益、提升產品可靠性，並透過標準化及改善製造實務強化本土產業競爭力。本次命令進一步建立替代性風險基礎遵循機制，使印度產業於維持品質保證及消費者保護前提下，得向持有BIS附表二第II方案授權之製造商採購，而非僅依BIS第I方案（ISI標誌方案）辦理。印方預期該措施將協助產業降低遵循瓶頸、促進技術現代化及創新、強化印度製造生態系，並提升印度與全球供應鏈接軌程度。

八、本組觀察：印度近年持續擴大BIS認證及QCO適用範圍，海外製造商申請BIS認證程序普遍耗時，且產品清單已逐步涵蓋民生消費品、機械零組件及家電產品。本案並非降低品質標準，而係在既有QCO架構下提供過渡性安排，透過特定許可及風險評估，使產業於調整供應鏈、提升技術能力及強化在地製造布局期間，仍可維持一定採購彈性。本組將持續關注 DPIIT 將發布之申請指引及實際審查標準，以評估對我商供應印度市場之影響。

正本：經濟部標準檢驗局
副本：經濟部國際貿易署 電子交換章 115/06/29 19:41:10

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273832
CG-DL-E-25062026-273832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3283] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 3283] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3417(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, और ब्यूरो से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को अंतरण सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **लागू होना**- यह आदेश, इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आने वाले माल या वस्तुओं पर लागू होगा।

3. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) अनुसूची में निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में निहित किसी भी बात के होते हुए, उसके अंतर्गत आने वाले सामान या वस्तुएं संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और इस आदेश के प्रावधानों के अध्यधीन, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची II की स्कीम-II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत एक मानक चिह्न के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के तहत लाइसेंस, केवल उस व्यक्ति को आपूर्ति करने के लिए ऐसे विनिर्माता के लिए उपलब्ध होगा जिसे इस आदेश के खंड 4 के तहत विशिष्ट अनुमति प्रदान की गई है।

(3) जिस व्यक्ति को अनुमति प्रदान की गई है वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश के तहत अनुमत सामान या वस्तुएं संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत निर्धारित लागू भारतीय मानकों के अनुरूप हैं।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के परामर्श से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से ऐसे सामानों के बाजार की निगरानी करेगा ताकि लागू भारतीय मानकों से उनकी अनुरूपता को सत्यापित किया जा सके।

4. अनुमति प्रदान करना- (1) इस आदेश के अधीन निम्नलिखित को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी, -

(क) ऐसे व्यक्ति को जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी है; तथा

(ख) आदेश के तहत गठित एक कार्यान्वियन समिति द्वारा व्यक्ति के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर।

(2) उप-खंड (1) के अधीन दी गई अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(3) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए एक कार्यान्वियन समिति होगी, और उक्त समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रभारी, तकनीकी विनियम), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-अध्यक्ष;

(ख) संबंधित उत्पाद के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव – सदस्य;

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव – सदस्य;

(घ) वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव – सदस्य;

(ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के स्तर के न हो) – सदस्य;

(च) भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के स्तर के न हो) – सदस्य;

(छ) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक अथवा उप सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी (प्रभारी तकनीकी विनियम) – संयोजक; तथा

(ज) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन का प्रतिनिधि, जो उप सचिव अथवा निदेशक के पद के स्तर से नीचे के स्तर का न हो।

(4) कार्यान्वियन समिति किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी तकनीकी क्षमता, प्रदर्शित किए गए अनुभव; उसके डिजाइन एवं विनिर्माण पर नियंत्रण सहित अपनी आपूर्ति शृंखला में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के तरीके; उसके आचरण एवं अनुपालन की सत्यनिष्ठा का पूर्ववृत्त; तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने/उन्नयन या डिजाइन क्षमताओं अथवा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर संबंधित वस्तुओं और सामग्रियों के लिए भारत में आपूर्ति शृंखला क्षमताओं की स्थापना करने की उसकी प्रतिबद्धता; अथवा संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का लगातार तीन वर्षों की अवधि तक बिना किसी चूक के अनुपालन; तथा अन्य किसी संबंधित कारकों के आधार पर करेगी।

(5) कार्यान्वियन समिति व्यक्ति के साथ वार्ता करेगी तथा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, घोषणाओं, प्रमाणपत्रों, वचनबद्धताएं, स्वतंत्र आकलनों तथा ऐसी अन्य सामग्रियों जिन्हें वह अपने मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझती है, पर भरोसा कर सकती है।

(6) शर्तों के उल्लंघन, सामग्री के तथ्यों का मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा उत्पाद के लागू भारतीय मानकों के अनुरूप न पाए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, इस आदेश के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी अनुमति को निलंबित, संशोधित अथवा वापस ले सकती है।

5. **आवेदन तथा अन्य प्रक्रियाएं.—** (1) इस आदेश के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन, इस आदेश के प्रभावी होने की तारीख से चौबीस माह की अवधि के भीतर स्वीकार किए जाएंगे।

(2) आवेदन प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेजीकरण, हकदारी, मॉनिटीरिंग एवं अनुपालन आदि के संबंध में इस आदेश से संबंधित सभी संबंधित जानकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा विभाग की वेबसाइट (https://www.dpiit.gov.in) पर उपलब्ध होंगे।

6. **अवधि और व्यावृत्ति.—** (1) यह आदेश इसके शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और उसके पश्चात्, जब तक कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसकी अवधि का विस्तार न करे, यह रद्द माना जाएगा।

(2) इस तरह रद्द होने के बावजूद, इस आदेश को रद्द किए जाने की तारीख से पहले इस आदेश के अंतर्गत प्रदान की गई कोई भी अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट की गई अवधि तक वैध रहेगी, जब तक कि उसे इस आदेश के उपबंधों के अनुसार निलंबित, संशोधित अथवा वापस न ले लिया जाए।

(3) इस आदेश के रद्द होने से, ऐसे रद्द किए जाने से पूर्व इस आदेश के अंतर्गत उत्पन्न किसी अधिकार, दायित्व, देयता, जांच, कार्यवाही अथवा की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. व्याख्या- यदि इस आदेश की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को उस पर निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

अनुसूची

(खंड 2 देखें)

क्रम सं.	गुणवत्ता नियंत्रण आदेश	जारी करने की तिथि	लागू करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020	25.02.2020	01.01.2021
2.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण- फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020	27.10.2020	01.01.2022
3.	एयर कंडीशनर और इसके संबंधित भागों, हर्मेटिक कंप्रेसर और टंप्रेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019	05.12.2019	01.10.2023
4.	सभी रबर और सभी पॉलिमेरिक सामग्री से बने फुटवियर और उसके घटकों (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	27.10.2020	01.08.2024
5.	चमड़े और अन्य सामग्रियों से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	27.10.2020	01.08.2024
6.	घरेलू वाटर हीटिंग लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	11.03.2024	01.03.2025

7.	घरेलू कपड़े धोने के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024	07.03.2024	01.04.2025
8.	हिंजेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	12.12.2023	01.07.2025
9.	फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025	14.02.2025	13.02.2026
10.	घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026	20.09.2024	01.10.2026

[फा. सं पी-29026/1/2026-एलईआई]

सुमीत कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2026

S.O. 3417(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section *(3)* of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order, namely: –

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application**. - This Order shall apply to the goods or articles covered under the Quality Control Orders specified in the Schedule appended to this Order.

3. Compulsory use of standard mark.- (1) Notwithstanding anything contained in the Quality Control Orders specified in the Schedule, goods or articles covered thereunder shall conform to the corresponding Indian Standards and shall be permitted use of a Standard Mark under a license from Bureau of Indian Standards as per Scheme II of the Schedule II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, subject to the provisions of this Order.

(2) The license under sub-clause (1) shall be available only to a manufacturer for supplying to the person who has been granted specific permission under clause 4 of this Order.

(3) The person granted permission shall ensure that the goods or articles permitted under this Order conform to the applicable Indian Standards prescribed under the corresponding Quality Control Orders.

(4) The Bureau of Indian Standards, in consultation with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, shall either directly or through agencies notified by it, carry out market surveillance of such goods to verify continued conformance with the applicable Indian Standards.

4. Grant of permission. - (1) Permission under this Order may be granted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, -

(a) to a person that is a company incorporated under the Companies Act, 2013; and

(b) based on the risk assessment of the person by an Implementation Committee constituted under the Order.

(2) The permission granted under sub-clause (1) shall be subject to such conditions as may be specified therein.

(3) There shall be an Implementation Committee for the purposes of this Order, and the said Committee shall consist of-

(a) Additional Secretary or Joint Secretary (I/c Technical Regulations), Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Chairperson;

(b) Additional Secretary or Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the concerned Product- Member;

(c) Joint Secretary, Department of Consumer Affairs -Member;

(d) Joint Secretary, Department of Commerce - Member;

(e) Representative of Directorate General of Foreign Trade (not below the rank of Joint Secretary level) --Member;

(f) Representative of Bureau of Indian Standards (not below the rank of Joint Secretary level)-Member;

(g) Director or Deputy Secretary or equivalent (I/c Technical Regulations), Department for Promotion of Industry and Internal Trade- Convenor; and

(h) Any other representative not below the rank of Deputy Secretary or Director from other Ministry or Department or Organization invited by the Chairperson;

(4) The Implementation Committee shall assess the person based on its technical capability, demonstrated experience; manner of ensuring quality assurance across its supply chain including through control over its design and manufacturing; history of conduct and compliance integrity; and its commitment to establish supply chain capabilities in India for the concerned goods and articles by promoting technological adoption/advancement or design capabilities or research and development; or its compliance for the concerned Quality Control Order for a continuous period of three years without any default; and any other relevant factors.

(5) The Implementation Committee may interact with the person and rely upon documents, declarations, certifications, undertakings, independent assessments, as may be provided by the person, and such other material that it considers appropriate for the purpose of its assessment.

(6) In case of breach of conditions, misrepresentation of material facts or failure of product to conform to applicable Indian standards, the Central Government may suspend, modify or withdraw any permission granted under this Order, after giving opportunity to be heard.

5. Application and other modalities. - (1) The applications for permission under the Order shall be accepted within twenty-four months from the date of commencement of this Order.

(2) All relevant details pertaining to this Order in respect of the application process, documentation required, entitlements, monitoring and compliance, etc., shall be specified in guidelines issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and be available at the website (https://www.dpiit.gov.in).

6. Duration and savings. - (1) This Order shall remain in force for a period of five years from the date of its commencement and shall thereafter stand rescinded unless it is extended by the Central Government by notification in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding such rescission, any permission granted under this Order prior to the date of rescission shall continue to remain valid for the period specified therein unless suspended, modified or withdrawn in accordance with the provisions of this Order.

(3) The rescission of this Order shall not affect any right, obligation, liability, investigation, proceeding or action arising under this Order prior to such rescission.

7. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of this Order, the same shall be referred to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade for its decision.

SCHEDULE

(See *clause 2*)

S. No.	**Quality Control Orders.**	**Date of issue.**	**Date of implementation.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Toys (Quality Control) Order, 2020.	25.02.2020	01.01.2021
2.	Personal Protective Equipment- Footwear (Quality Control) Order, 2020.	27.10.2020	01.01.2022
3.	Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019.	05.12.2019	01.10.2023
4.	Footwear made from All Rubber and all Polymeric Material and its components (Quality Control) Order, 2024.	27.10.2020	01.08.2024
5.	Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Order, 2024.	27.10.2020	01.08.2024
6.	Electrical appliance for domestic water heating (Quality Control) Order, 2025.	11.03.2024	01.03.2025

7.	Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2024.	07.03.2024	01.04.2025
8.	Hinges (Quality Control) Order, 2025.	12.12.2023	01.07.2025
9.	Furniture (Quality Control) Order, 2025.	14.02.2025	13.02.2026
10.	Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2026.	20.09.2024	01.10.2026

[F. No. P-29026/1/2026-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.